

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल-दुल्हन बाजार एवं बिक्रम के सोन नदी पर (घाट संख्या- 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एवं घाट- 31) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

दिनांक: 26.09.2020 को पंचायत भवन, हैवसपुर, थाना-रानीतलाब, जिला-पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मेसर्स मृगालय इंटरप्राइजेज प्रा० लि०, श्री सत्यानन्द राय, श्री प्रमोद कुमार, मेसर्स साहाबाद कंस्ट्रक्शंस, श्री संतोष यादव, मेसर्स बासुकीनाथ ट्रेडर्स, मेसर्स नव दुर्गा ऑटोमोबाइल्स के द्वारा प्रस्तावित बालू घाटों के लिए निर्गत क्रमशः टी०ओ०आर० पत्र संख्या-SIA/1(a)/1101/2020, 1102/2020, 1103/2020, 1105/2020, 1106/2020, 1107/2020, दिनांक 22.07.2020, एवं SIA/1(a)/1108/2020, 110/2020, दिनांक 24.07.2020 के आलोक में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा०), पटना (जिलापदाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक-सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक: 25.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।


परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टॉर्निसबिलिटी (सी. ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बताया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढक कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारे और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य


किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यों में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :-


1. श्री अक्षय कुमार, बरेर द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मदद के लिए खर्च का ब्यौरा स्पष्ट करने तथा सी.ई.आर. में खर्च की राशि 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-15 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री भोला यादव, बहलादपुर द्वारा बालू के परिवहन से अक्सर सड़क से आवागमन अवरुद्ध होने की समस्या बतायी गयी। साथ ही धूलकण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा गया। लेबर की सुविधा के लिए शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. श्री राकेश कुमार, बुधु छपरा द्वारा बताया गया कि वाहन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए।
4. श्री उदय सिंह, बरेर द्वारा बताया गया कि बालू खनन से यहां के लोगों का जमीन बर्बाद होता है, वाहनों के आवागमन से खेतों में धूलकण जमा हो जाता है।
5. श्री मृत्युञ्जय सिंह, बरेर द्वारा बताया गया कि बालू को ढोने के क्रम में वाहनों से सड़कों में गढ़े हो जाते हैं जिसका समय-समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना चाहिए।

लोक-सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कृप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड-19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जिसकी व्यवस्था प्रस्तावक सुनिश्चित करेंगे।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशांसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।

















(मनोरंजन कुमार सिंह)
सहा० वैज्ञानिक पदा०
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(एस.पी.राय)
पर्यावरण अभियंता
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(विष्णु मिश्र)
अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मेसर्स मृगालय इंटरप्राइजेज प्रा० लि०, श्री सत्यानन्द राय, मेसर्स बासुकीनाथ ट्रेडर्स श्री प्रमोद कुमार, मेसर्स सहबाद कंस्ट्रक्शंस, श्री संतोष यादव, मेसर्स नव दुर्गा ऑटोमोबाइल्स द्वारा पटना जिला, अंचल- दुल्हन बाजार एवं बिक्रम के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-4A) सोन घाट- 24, सोन घाट- 25, सोन घाट- 26, सोन घाट- 27, सोन घाट- 28, सोन घाट- 29, सोन घाट- 30, एवं सोन घाट- 31 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.09.2020 (शनिवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में पंचायत भवन, हैवसपुर, गोना, थाना-रानीतलाब जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दंडाधिकारी, पटना	 26/09/2020
2.	एस.पी.राय,	पर्यावरण कमिश्नर क्रि० 210 प्र० नि० परबंद, पटना	 26-9-2020
3.	मंगलज कुमार सिंह	सहायक वैज्ञानिक महाविद्यालय क्रि० ए प्र० नि० परबंद, पटना	 26-9-20
4.	वृन्दा कुमार शर्मा	EIA Consultant	
5.	सैफ शशिप आम्ताव	EIA Consultant	
6.	संतोष कुमार	जनपारा	
7.	कमलेश कुमार आदव	ग्राम परबंद थाना बिहटा जिला पटना	
8.	संतोष यादव	ग्राम- एकतलगांज बिसरपुरा थाना- रानीतलाब जिला (पटना)	
9.	कृष्णा मुखर्जी C/O Nav Durga Automobiles Bihtra, Patna		
10.	सत्यानन्द राय	बासरीगांज दानापुर पटना	
11.	भोगेंद्र कुमार सिंह	दरवेशपुरा मेनर पटना	
12.	प्रमीर कुमार	अनिशावात पटना	
13.	Sanyaj Kumar	Harbaspur	
14.	प्रमोद कुमार	बासरीगांज (कोनापुर)	
15.	अनुराम कुमार	जनपारा	
16.	प्रशांत कुमार	जनपारा	